पीठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 01/2017

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थीगण |
|---|---|---|
| 1– अचलदास वैष्णव पुत्र शिवराज जाति वैष्णव निवासी पीपली चौक ऊपर की गली, नागौरियों का बास, जूनी बागर चौक जोधपुर। मार्फत– भूपेन्द्र वैष्णव, कुंज बिहारीजी का मंदिर, कटला बाजार जोधपुर | | 1–मनीष वैष्णव पुत्र अचलदास निवासी पीपली चौक, ऊपर की गली, नागोरियों का बास, जूनी बागर चौक, जोधपुर।<br>2– श्रीमती मंजू वैष्णव पत्नी मनीष वैष्णव निवासी पीपली चौक, ऊपर की गली, नागोरियों का बास, जूनी बागर चौक, जोधपुर।<br>3– धनजंय वैष्णव पुत्र मनीष<br>4– दिव्यांशु वैष्णप पुत्र मनीष निवासी पीपली चौक, ऊपर की गली,नागोरियों का बास जूनी बागर चौक, जोधपुर |

**अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.17 जो उपखण्ड अधिकरण ( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) द्वारा प्रकरण सं0 40/16 में पारित किया गया।**

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 21.06.2017

1– श्री अचलदास वैष्णव अपीलार्थी स्वयं
2– श्री मनीष वैष्णव एवं श्रीमती मंजू प्रत्यर्थीगण स्वयं

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित उपखण्ड अधिकरण ( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) के समक्ष पेश करते हुए अपीलार्थी को 5000/–रूपये प्रति माह भरण–पोषण के रूप में तथा मकान को खाली करे मकान का कब्जा प्रत्यर्थी से दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थी/अपीलार्थी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

लगातार

गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख मंगा तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर आज दिनांक 21.06.17 को उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि वह 68 वर्ष का वृद्ध है तथा राजकीय सेवा करते हुए सेवानिवृत हुआ। अपीलार्थी के तीन संतान है एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है। अपीलार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से पीपली चौक, उपर की गली, नागोरियों का बास, बागर चौक जोधपुर में एक मकान वर्ष 2004 में खरीद किया गया। बिजली पानी का कनेक्शन अपीलार्थी के नाम का है। बहस में आगे बतलाया कि उसकी पत्नी का देहान्त होने के बाद प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को उक्त मकान की रजिस्ट्री उनके नाम कराने की धमकियां देते है तथा अपीलार्थी को खाना नहीं देते है। प्रत्यर्थीपक्ष मकान तल मंजिल में निवास कर रहा है तथा प्रथम मंजिल का हिस्सा में सफाई करने दिनांक 18.09.2016 को गये तब प्रत्यर्थीगण मकान के प्रथम मंजिल में आकर अपीलार्थी एवं उसकी अन्य पुत्र–वधु के साथ गाली गलौच कर मारपीट पर उतारू हुए तथा धक्का मुक्की कर घर से बाहर निकाल दिया। बहस के अन्त में कहा कि प्रत्यर्थीपक्ष उसका मकान जबरन हड़प करना चाहते है अतः उन्हें बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी को दिया जाय।

प्रत्यर्थी मनीष वैष्णव एवं श्रीमती मंजू वैष्णव ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी उसके पिता है तथा मेरी माता का निधन होने के बाद अपीलार्थी ने पुनःर्विवाह भी कर लिया गया। अपीलार्थी ने अपने अन्य पुत्र को पक्षकार नहीं बनाया। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थी ने हमारी संयुक्त परिवार से खरीदी गई सम्पतियों को मिलाते हुए मौखिक बंटवाड़ा कर लिया जिसके तहत पीपली चौक वाला मकान प्रत्यर्थीपक्ष को दिया गया। अपीलार्थी का पुत्र भुपेन्द्र को सादों की गली कटला बाजार वाली पुश्तैनी मकान दिया तथा अपीलार्थी स्वयं के पास सांगरिया स्थित मकान का कब्जा उनका है जिसमें वो अपनी महिला मित्र के साथ निवास कर रहा है। बहस में यह भी बतलाया कि प्रत्यर्थी–एक फोटोग्राफी का काम करके परिवार का खर्चा मुश्किल से चला आ रहा है, उसे सिल्प डिस्क की बीमारी है जिस पर काफी दवाईयों के लिए खर्च करना पड़ता है। अपीलार्थी को सांगरिया स्थित मकान किराया भी मिलता है तथा अपीलार्थी को प्रतिमाह 25000/–रूपये पेंशन भी मिल रही है अतः उनको भरण पोषण के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं है। बहस में यह भी बतलाया कि प्रत्यर्थी–एक की स्थिति खराब है तथा अपने परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाता है तथा उसे इस मकान से बेदखल कर दिया जायेगा तो उन्हें रहने का अन्य साधन नहीं होगा। अंत में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधिनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी सेवानिवृत कर्मचारी है तथा पेंशन प्राप्त प्राप्त कर रहा है अतः अपीलार्थी के भरण पोषण के लिए आय स्त्रोत उसको प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन है। प्रत्यर्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह कथन किया कि विवादित मकान के अलावा दो अन्य मकान अपीलार्थी के नाम आये हुए है जिसमें पैतृक मकान में अपीलार्थी का छोटा पुत्र भूपेन्द्र निवास कर रहा है एवं एक मकान सांगरिया में स्थित है जिसमें अपीलार्थी

स्वयं रह रहा है एवं कुछ भाग किराये पर भी दिया हुआ है, इन तथ्यों का खण्डन तक अपीलार्थीपक्ष ने नहीं किया। प्रत्यर्थीपक्ष का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग करके संयुक्त परिवार की आय से बनाई गई सम्पत्तियों का बंटवाड़ा करके दे दिया गया था जिसमें विवादग्रस्त मकान में प्रत्यर्थीपक्ष निवास कर रहे है जबकि अपीलार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त मकान स्वअर्जित आय से खरीदा गया है अतः विवादग्रस्त मकान परिवार की संयुक्त आय से खरीदा गया या अपीलार्थी की नीजि आय से खरीदा गया, उक्त विवाद का निपटारा यह अपील अधिकरण का क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय से तय किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी को सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः अधीनस्थ उपखण्ड (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को पुनः प्रेषित हो।